

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020—आश्विन 6, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-51-2019-1-पाँच-(61).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पाँच (29), भोपाल, दिनांक 4 मई 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में,—

- (i) “जो उक्त नियमों के नियम 54” शब्दों, के पहले “किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई तथा” शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) “एक सौ करोड़ रुपये” शब्दों के लिए “पाँच सौ करोड़ रुपये” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-51-2019-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पाँच-(61), दिनांक 28 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव,

Bhopal, the 28th September 2020

No. F A 3-51-2019-1-V-(61).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA-3-51-2019-1-V- (29), Dated 04th May 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,—

- (i) before the words “those referred to in-sub-rules”, the words “a Special Economic Zone unit and” shall be inserted;
- (ii) For the words “one hundred crore rupees”, the words “five hundred crore rupees” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.